

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

डॉ. तेजस प्रद्युम्न जोशी संयुक्त सचिव

Dr. Tejas Pradyuman Joshi Joint Secretary भिश्वाप्ति जयते प्राप्ति । १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | Acad 3 | 3183 | 2024

भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(शिक्स मंत्रालय, भारत संस्कार) (Ministry of Education, Govt. of India)

12th June, 2023

D.O. F. No. 1-15/2009(ARC)PT.III

To,

The Vice Chancellor of all University The Principal of all Colleges

Subject: Regarding revised procedure of Anti Ragging Undertaking & Compliance submission.

Sir/Madam,

As part of UGC's initiative towards reduction of compliance burden of its stakeholders, UGC has revised the procedure for students to file online Anti Ragging undertaking. Now the procedure is completely online and student is not required to submit any hard/printed affidavit in institute.

This procedure has been changed with the view to conserve paper, to protect our environment and to reduce compliance burden of our stakeholders.

It has been observed that some prominent institutions are still following the previous exercise. You are therefore requested to adopt the revised procedure and not to receive any hard/ printed affidavit by students.

Anti-Ragging Undertaking must be filled by the students online on http://www.antiragging.in only. Universities/Colleges will not accept Anti Ragging Undertaking by students in Hard/Printed copy/Affidavits. (Please note that the student is not required to print & sign it as it used to be in the earlier case).

Further the compliance submission is not upto the mark by the institutions, therefore you are also requested to submit compliance on the following link:

https://www.antiragging.in/compliance_desclaimer.html

Soft copy of the Anti-Ragging Posters are also enclosed with a request to display on the prominent places in your campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities etc.

For any query in this matter, you may contact National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 or email us at helpline@antiragging.in

With regards,

TEJAS Date: PRADYUM 2023. AN JOSHI 2 17:5 Yours faithfully,

(Tejas P. Joshi)

Ph. No.: 011-24115424 Email: teias.ugc@gov.in: teias2709@gmail.com